

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पी सी-VI/364
सं. पी सी- VI/2008/1/7/2/1

आर बी ई सं. 32 /2016
नई दिल्ली, दिनांक 08.04.2016

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)


विषय: रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 01.01.2016 से लागू संशोधित दरें।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 24.09.2015 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पी सी - VI/356 आरबीई सं. 115/2015) का अवलोकन करें। राष्ट्रपति जी ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 01 जनवरी, 2016 से 119% की मौजूदा दर से 125% तक बढ़ा दिया जाएगा।

2. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पी सी - VI/3, आरबीई सं. 106/2008) के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान समस्त रेल कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा। बकाया राशि का भुगतान वेतन बिल में प्रभारित किया जाए और इस प्रयोजन हेतु अलग बिल बनाने के लिए कोई मानदेय देय नहीं है।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(एम.के.पन्डा)

संयुक्त निदेशक/वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

सं. पी सी-VI/2008/1/7/2/1

नई दिल्ली, दिनांक 08.04.2016

प्रतिलिपि उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियां)


कृते वित्त आयुक्त, रेलें.